

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130] दिल्ली, बुधवार, अगस्त 4, 2011/श्रावण 13, 1933 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 112
No. 130] DELHI, THURSDAY, AUGUST 4, 2011/SARVANA 13, 1933 [N.C.T.D. No. 112

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 4 अगस्त, 2011

सं. फा. 12/02/2004/प्र.सु./9040-9209/सी.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिनांक 25-9-1997 के संकल्प संख्या फा. 4/14/94-प्र.सु. जो दिनांक 30-7-1998 के संकल्प संख्या फा. 4/14/94-प्र.सु. के अनुसार संशोधित हुआ, के पैराग्राफ 2 के खंड ए के उप-खंड (i) के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल, श्री दिनेश गुप्ता को एक वर्ष की अवधि के लिए, उपरोक्त संदर्भित संकल्प में यथानिर्धारित शर्तों के अनुसार, जनशिकायत निवारण आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंशकालीन सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्री दिनेश गुप्ता, एक वर्ष की अवधि के लिए, दिनांक 7-8-2012 तक अपने पद पर बने रहेंगे।

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 4th August, 2011

No. F. 12/2/2004/AR/9040-9209/C.—In pursuance of sub-clause (i) of clause A of Paragraph 2 of Government of National Capital Territory of Delhi Resolution No. F. 4/14/94-AR dated 25-9-1997 as amended vide Resolution No. F. 4/14/94-AR dated 30-7-1998, the

2985 DG/2011

Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Dinesh Gupta as Part-Time Member, Public Grievances Commission, Government of National Capital Territory of Delhi for a further period of one year, subject to the terms and conditions as stipulated in the above referred Resolutions.

Sh. Dinesh Gupta shall hold the office for a period of one year up to 7-8-2012.

सं. फा. 12/02/2004/प्र.सु./8870-9039/सी.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिनांक 25-9-1997 के संकल्प संख्या फा. 4/14/94-प्र.सु. जो दिनांक 30-7-1998 के संकल्प संख्या फा. 4/14/94-प्र.सु. के अनुसार संशोधित हुआ, के पैराग्राफ 2 के खंड ए के उप-खंड (i) के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल, श्रीमती निशा सैमुअल को एक वर्ष की अवधि के लिए उपरोक्त संदर्भित संकल्प में यथानिर्धारित शर्तों के अनुसार, जनशिकायत निवारण आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंशकालीन सदस्य के रूप में पुनः नियुक्त करते हैं।

श्रीमती निशा सैमुअल, एक वर्ष की अवधि के लिए, दिनांक 30-7-2012 तक अपने पद पर बनी रहेंगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
डॉ. एम. एम. कुट्टी, प्रधान सचिव